

From No. III





फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत सहायक जज एच. उपरवर्ध अधिकारी (मुकाम) मारवाड जंकराज  
मेमोरामजी बनाम कुकला चौधरी

किस्म मुकदमा प्रा.फा 4/5-0-9 R-7 CPL नं. 78 सन् 2015

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए।
23/07/2015	<p>वकील प्रार्थी उपाखित।                      वकील प्रार्थी द्वारा विद्वत् अजाधीश के जलस्व दरखास्त अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 CPL के तहत पेश किया जो दर्ज रजिस्टर होकर अजाधीश को परिचय नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आयदा दिनांक 26-11-2015 को पेश हो।</p>	
26/11	<p>पत्रावली पेश हुई।                      साक्षिक आदेश की पालना की जाकर पत्रावली आयदा दिनांक 14-1-16 को पेश हो।</p>	
14/1/16	<p>पत्रावली पेश हुई                      आज पीछासी में अधिकारी महोदय, अज अदालत के सामने पेश/समय पर है।                      बेटक में पेश हुई है।                      अतः पत्रावली आयदा दिनांक 24/2/16 को पेश हो।</p> <p>रिजिटर                      उप जज अधिकारी एवं जजिस्ट्रेट                      मारवाड जंकराज</p> <p>24/2/2016 पत्रावली पेश हुई।                      अजाधीश श्री आगे डराम, कुल्लाम, मंगीलाल, पाली एवं जमना की वकील कुमारी की रिपोर्ट अदालत पर पेश की गई है। वकील प्रार्थी इनके कामकाज मुकाम की कार्यवाही की जाये। पत्रावली आयदा दिनांक 25/4/2016 को पेश हो।</p>	

<p>तारीख हुक्मा</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर या मस अहकाम जो इस का ताथिल में</p>
<p>8/4/19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई आज पीठासीन अधिकारी महोदय, अध्य कार्य से व्यस्त है/अवकाश पर है/ बेठक में पधारते हुये है/अवकाश पर है अतः पत्रावली आवक दिनांक 29/5/19 को पेश हो।</p> <p></p> <p>रिज्द उप जज अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट नारवाड़ जंक्शन</p>	
<p>29/5/19</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई व कुलाय उपज वकील वाली को काठ मुठ की कार्यवाही हेतु अ-रफ उपज र दिशा जाकर पत्रावली-वाले काठ मुठ कार्यवाही आये दिनांक 17/7/19 को पेश हो।</p> <p></p> <p>नहीं मस+र काठ मुठ</p>	
<p>17/7/19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई आज पीठासीन अधिकारी महोदय, अध्य कार्य से व्यस्त है/अवकाश पर है/ बेठक में पधारते हुये है/अवकाश पर है अतः पत्रावली आवक दिनांक 26/8/19 को पेश हो।</p> <p></p> <p>रिज्द उप जज अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट नारवाड़ जंक्शन</p> <p>उपज पत्रावली का, पीठासीन जज मठ नारवाड़ जंक्शन</p>	
<p>26/8/19</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई वकील वाली उपज पत्रावली वाले इ-रफा काठ मुठ पर वर का पत्र आयेगा दिनांक 21/8/19 को पेश हो।</p> <p></p> <p>नहीं मस+र काठ मुठ</p>	
<p>21/8/19</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई पत्रावली की पूर्व आदेशिका मय ललन वस्तावेजों का अवलोकन किया गया उपपत्र के अवलोकन पर पाया गया कि उपपत्र दिनेश कुमार द्वारा पेश किया गया था किन्तु उपपत्र में मिली थी अधिवक्ता का वकालतनामा पेश</p>	


तारीख  
हुक्मा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म  
का तामिल में जारी हुए।

नहीं किया गया जिले के पुरवी करने वाले  
अधिवक्ता के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो  
सकती है। नही प्राप्ति स्वयं पुरवी के लिए  
अपेक्षित है। मुझे प्रकरण Summary trial  
(सारांश की परीक्षण) का है अतः इसे अर्थात् शीघ्र  
निस्तारित किया जाना निश्चित ही जरूरी है।  
किंतु प्रकरण में दिनांक 24/2/18 से काठ मुठ  
की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है किंतु  
आदिनांक तक काठ मुठ की कार्यवाही नहीं की  
गई है। जिले प्रकरण के निष्कर्ष में अग्रिम  
कार्यवाही नहीं की जा सकती है। साथ ही  
सारांश परीक्षण प्रकृति के प्रमाण को इतना लम्बे  
समय तक चलाया जाना भी उचित नहीं है  
अतः प्रकरण में अधिवक्ता के अभाव तथा  
वजालहामा के अभाव, प्रकृत जती दिनेश  
कुमार की अनुपस्थिति तथा स्वयं प्राप्ति की  
अनुपस्थिति तथा काठ मुठ पेश नहीं किये  
जाने के कारण प्रकरण को खारिज किया  
जाता है। मिसल फैसल कुमार होकर नम्बर के  
क्रम है।

निर्णय आज दिनांक 24/2/19 को खुले-आमालक में  
सुनाया गया।

  
सहायक जज  
काठ मुठ

